

10/11/17

20/11/17

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा एवं
 शर्मा अनु०। न्यायालय सत्र में वकील
 शर्मा को तीन बार रुक-रुक कर श्रावण
 लगाई लेकिन कोई अप० नहीं हुआ।
 भिससे स्पष्ट होता है कि वकील शर्मा
 एवं शर्मा अपने आवेदन के प्रति गम्भीर
 नहीं हैं। अतः शर्मा का आवेदन अदम
 हाजरी - अदम फेरवी में खारीज किया
 जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर ही
 खेधा से एक कप हो।

उपखण्ड अधिकारी
 जिला

2

2

8

21

28